


14-10-21

आज पत्रावली पेश हुई वकील
प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बास्ते तलबी
दि० 18-10-21 को फा हो तब तक
T.I. की अर्बिध बर्दाई जारी हैं



उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

दिनांक 18-10-2021

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थियागण वकील उपस्थित।
प्रार्थियागण ने दावे में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि
प्रार्थियागण/वादियागण अपने वाद को चलाना नहीं चाहती है।
अतः वादिया का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील प्रार्थियागण/वादियागण को सुना। चूंकि
प्रार्थियागण/वादियागण का वाद खारिज किया जा चुका है।
इसलिये प्रार्थियागण के प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने
का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र नहीं
चलाने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थियागण के पक्ष में
जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06-08-2021 निरस्त की
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)



अंगरी
Relby
डिप्ट